संख्या 1899/VII–2–06खादी/06

प्रेषक,

डा0 हेमलता ढौंडियाल
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्योग,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक : 15 मई , 2008

विषयः वित्तीय वर्ष 2008–09 के अन्तर्गत खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अवचनबद्ध मदों में धनराशि स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्र संख्याः 107/बजट/उ0खा0ग्रा0बो0/2008–09 दिनांकः 15.4.2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायता मद हेतु शासनादेश संख्याः 1624/VII-2/ 06–खादी/06 दिनांकः 01 अप्रैल, 2008 द्वारा आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि मे से वित्तीय वर्ष 2008–09 के आयोजनेत्तर पक्ष की अवचनबद्ध मदों में निम्न विवरणानुसार रू0 20,00,000/– (रू0 बीस लाख मात्र) की धनराशि के व्यय की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

03–खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद को सहायता,
20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता :

क.स.	मद	स्वीकृत धनराशि (रू0 हजार में)
1	लेखन सामग्री/फार्मों की छपाई	200
2	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	400
3	व्यावसायिक मद (कताई बुनाई, रंगाई आदि)	900
4	प्रकाशन	100
5	विज्ञापन	100
6	कम्प्यूटर हार्डवेयर/ सापटवेयर	150
7	कम्प्यूटर अनुरक्षण तत्संबंधी स्टेशनरी का कय	150
	योग :	2000

(रूपये बीस लाख मात्र)

2– उक्त धनराशि आपके निर्वतन पर इस आशय से रखी जा रही है कि स्वीकृत धनराशि का एकमुश्त आहरण कर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून को उपलब्ध करा दिया जायेगा एवं स्वीकृत धनराशि का माहवार व्यय विवरण उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। अवचनबद्ध मदों में धनराशि को व्यय करते समय मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जाय तथा इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों का कढ़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3– व्यय मात्र उन्हीं मदों में किया जाय, जिन मदों में धनराशि स्वीकृत की जा रही है। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के

नियमों का उल्लंघन होता हो। धनराशि व्यय के उपरांत व्यय की गयी धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर नियमित रूप से प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4– वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण का रजिस्टर बी0एम0–8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह को व्यय का विवरण उक्त अधिकारी के द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल की अध्याय–13 के प्रस्तर–116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर–128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा और नियमित रूप से सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक (मा0 मुख्य मंत्री जी/मुख्य सचिव) कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर–130 के आधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

5– उपकरण/फर्नीचर आदि का क्रय डी0जी0एस0एण्ड डी0 की दरों पर अथवा टैण्डर/कुटेशन के नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

6– कम्प्यूटर आदि का क्रय एन0आई0सी0/आई0टी0 विभाग की संस्तुति से अथवा उनके दिशा–निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा।

7– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के अनुदान संख्या–23 के मुख्य लेखाशीर्षक 2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 105–खादी ग्रामोद्योग, 03–खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद को सहायता, 00–आयोजनेत्तर, 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 267/XXVII(1)/2008 दिनांक: 27 मार्च, 2008 में इंगित निर्देशानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 1899(1)/VII–2/06–खादी/06 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून।
7. निदेशक एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।